कार्यालय कलेक्टर, जिला–शाजापुर (म0प्र0)

क्रमांक/नाजीर/2019/813 शाजापुर दिनांक 13/11/2019

विज्ञप्ति

कार्यालय कलेक्टर–शाजापुर के परिसर में स्थापित वाहन स्टैण्ड को अनुबंध दिनांक से 31 दिसम्बर 2020 तक के लिऐ प्रदान किया जाना है। शाजापुर जिले के मूल निवासी से निविदा आमंत्रित की जाती है। वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु न्यूनतम निविदा मूल्य रू. 2,37,000–00 नियत की गई है। नियम शर्ते एनआईसी shajapur.nic.in पर एंव नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। दिनांक 22–11–2019 सायं 4.00 बजे तक आवेदन–पत्र राशि रू. 100–00 जमा किये जाकर प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 23–11–2019 दोपहर 2.00 बजे तक रहेगी। इसके पश्चात प्राप्त होने वाली समस्त निविदाओं को निरस्त करते हुए विचार नही किया जाऐगा। निविदा दिनांक 23–11–2019 को दोपहर 3.00 बजे कलेक्टर कार्यालय के विवेकानंद सभाकक्ष में खोली जावेगी।

कलेक्टर
जिला–शाजापुर

वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु शर्ते

01- कलेक्टर कार्यालय परिसर का वाहन स्टेण्ड वर्ष 2019-20 के लिए देय होगा, जिसकी वैधता अवधि 31 दिसम्बर 2020 होगी।

02- निविदाकार को राशि रू. 10000.00 की अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट कलेक्टर, जिला शाजापुर के नाम देय बनाया जाकर बंद लिफाफे मे आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

03- ठेकेदार को गेर सरकारी व्यक्तियों से वाहन शुल्क निम्नानुसार प्राप्त करने का हक होगा।

01-	चार पहिया वाहन	20.00 प्रतिदिन
02-	दो पहिया वाहन	10.00 प्रतिदिन
03-	सायकल	05.00 प्रतिदिन

04- सभी शासकीय कार्यालय के कर्मचारी (कलेक्टर कार्यालय परिसर मे लगने वाले कार्यालयों मे कार्यरत् कर्मचारियों को छोड़कर) के वाहनों लिए प्रतिमाह निम्नानुसार राशि प्राप्त करने का हक ठेकेदार को होगा, इस हेतु ठेकेदार द्वारा सभी कर्मचारियों को एक कार्ड जारी करना होगा।

01-	चार पहिया वाहन	100.00 प्रतिमाह
02-	दो पहिया वाहन	50.00 प्रतिमाह
03-	सायकल	20.00 प्रतिमाह

05- कार्यालय परिसर मे लगने वाले कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए वाहन स्टेण्ड मे स्थान आरक्षित कर हेतु मासिक पास ठेकेदार द्वारा जारी किये जावेगे, जो निशुल्क होगा।

06- पोस्टमैन/ तार/ टेलिफोन/ लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी या बगीचा में काम करने वाले कामगारों के लिए वाहन स्टेण्ड निशुल्क रहेगा।

07- शासकीय वाहनों से कोई राशि वसूली नही की जावेगी।

08- वाहन स्टेण्ड से वाहन चोरी होने या वाहन मे अन्य किसी प्रकार की तोड़-फोड़ आदि के लिए ठेकेदार पूर्णरूप से जवाबदार रहेगा।

09- वाहन स्टेण्ड परिसर में साफ-सफाई रखना अनिवार्य होगा। स्टेण्ड परिसर मे लगे समस्त पौधो को पानी पिलाने एवं सुरक्षित रखने का समस्त दायित्व सफल निविदाकार का होगा। वाहन मालिक द्वारा वाहन वापस ले जाने के उपरांत टोकन कचरा टोकरी मे एकत्र किये जाने की पाबंदी रहेगी।

10- जिस निविदाकार की निविदा राशि सबसे अधिक होगी एवं अन्य शर्तों को निविदाकार पूरा करेगा, वाहन ठेका उसी के नाम किया जावेगा।

11- सफल निविदाकार की स्वीकृत राशि का 25% राशि संबंधित ठेकेदार को तत्काल जमा कर अनुबंध-पत्र निष्पादन करना होगा। अनुबंध-पत्र 500 रूपये के स्टाम्प पर किया जावेगा।

12- सफल निविदा राशि की द्वितीय किश्त 25% 30 नवम्बर 2019 तृतीय किश्त 25% 31 जनवरी 2020 तथा अंतिम किश्त 31 अगस्त,2020 के पूर्व अनिवार्य रूप से जमा करना होगी।

13- शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर अनुबंध किसी भी वक्त निरस्त कर निविदा की सम्पूर्ण राशि भू-राजस्व की भॉति वसूल की जावेगी तथा वाहन ठेका अगले उपयुक्त निविदाकार को उक्त शर्तो के अधीन दिया जाने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर, शाजापुर को होगा।

14- सफल निविदाकार द्वारा गैर सरकारी वाहनों के मालिकों को छपे हुए टोकन प्रदान किये जावेगे, जिस पर ठेकेदार का नाम तथा वसूल की गई राशि तथा दिनांक अंकित रहेगा।

15- सफल निविदाकार द्वारा टोकन तीन प्रति मे छपाये जायेगे। टोकन की एक प्रति वाहन मालिक को दी जावेगी। एक प्रति संबंधित वाहन मे लगायी जावेगी तथा एक प्रति ठेकेदार के टोकन का काउन्टर रहेगी।

16- सफल निविदाकार द्वारा टोकन बुक तीन कलर मे छपायी जावेगी। चार पहिया वाहन के लिए लाल रंग, दो पहिया वाहन के लिए पीला रंग तथा सायकल के लिए सफेद रंग निर्धारित होगा।

17- सफल निविदाकार द्वारा वाहन मालिकों से नम्रतापूर्ण व्यवहार करेगा, किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति मे पुलिस चौकी अथवा जिला नाजिर को इसकी सूचना कक्ष क्रमॉंक 57 मे दे।

18- बालश्रमिक रखना प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन पाये जाने पर बालश्रमिक कानून अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।

19- वाहन कतारबद्ध रहे, इसकी पूर्ण जवाबदारी ठेका मालिक की होगी।

20- किसी भी विवाद की स्थिति मे अंतिम निर्णय कलेक्टर, जिला शाजापुर का होगा।

21– वाहन स्टैण्ड का न्यूनतम शासकीय मूल्य रू. 2,37,600/– नियत है ।

13-11

संयुक्त कलेक्टर
जिला – शाजापुर (म.प्र.)